

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खरगोन

क./कीड़ा/योग दिवस/2020/1082

खरगोन,दिनांक 19.06.2020

प्रति,

- 1- सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जिला खरगोन ।
- 2- जिला परियोजना समन्वयक, सर्वशिक्षा अभियान जिला खरगोन ।
- 3- समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जिला खरगोन ।
- 4- समस्त संकुल प्राचार्य/प्राचार्य (शासकीय/अशासकीय) उमावि/हाईस्कूल जिला खरगोन ।

विषय:- 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घर पर रहकर योग की गतिविधियों में स्वैच्छिक सहभागिता किए जाने विषयक।

संदर्भ:- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क. एफ 5-6/2020/1/4 भोपाल,दिनांक 16 जून 2020.

उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार भारत सरकार आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा विभाग आयुष भवन नई दिल्ली के पत्र के अनुक्रम में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 21 जून 2020 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को संदर्भ में योग प्रदर्शन का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अपने घर ही रहकर संपूर्ण म.प्र. में एक ही समय पर स्वैच्छिक रूप से आयोजन किया जाना है। योग कार्यक्रम कॉमन योगा प्रोटोकाल 45 मिनट अवधि का रहेगा जो कि दूरदर्शन एवं अन्य माध्यमों से निर्धारित समय पर प्रातः 7.00 बजे से 7.45 बजे तक प्रसारित होगा इस अवधि में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सामान्यजन, महाविद्यालय एवं विद्यालयों के विद्यार्थी, एन.सी.सी./एन.एस.एस.केडेट, विभिन्न योग संस्थओं के सदस्य, अभिभावक इत्यादि घर पर ही रह कर स्वैच्छा से योग कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। उक्त आयोजन संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार घर पर ही रह कर 21 जून को प्रातः 7.00 बजे से 7.45 बजे तक कॉमन योग प्रोटोकाल के अनुसार किया जाना है। इस हेतु संदर्भित पत्र में दिए गये निम्नानुसार निर्देशों का पालन करते हुए 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग की गतिविधियों में स्वैच्छिक सहभागिता घर पर रहकर ही की जाना सुनिश्चित की जाये।

1. योग दिवस के अवसर पर योग एवं प्राणायाम करने के मुख्य उद्देश्य -
  - योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना।
  - तनाव से मुक्ति हेतु योगा अभ्यास किया जाना।
2. प्रत्येक विभागीय अधिकारी उक्त आयोजन के संबंध में अपने विभाग से एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को योग कार्यक्रम में सहभागिता हेतु प्रेरित करें।
3. आयुष विभाग भारत सरकार द्वारा एक कॉमन योग प्रोटोकाल निर्धारित तैयार किया गया है। जिससे वेबसाईट [yogaayush.gov.in](http://yogaayush.gov.in) से डाउनलोड किया जाये।
4. योग अभ्यास हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न माध्यमों जैसे :- यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, इस्टाग्राम इत्यादि पर सामान्य योगा प्रोटोकाल के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई।
5. कॉमन योग प्रोटोकाल 45 मिनट की अवधि का रहेगा। जो दूरदर्शन एवं अन्य माध्यमों से निर्धारित समय पर 21 जून 2020 को प्रातः 07:00 से 07:45 बजे तक प्रसारित होगा। इस अवधि में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, सामान्यजन अधिकारी, कर्मचारी योग संस्थाओं के सदस्य एवं महाविद्यालय, विद्यालयों के विद्यार्थी एन.सी.सी./एन.एस.एस. केडेट, विभिन्न योग संस्थाओं के सदस्य अभिभावक इत्यादि योग कार्यक्रम में घर पर ही रहकर स्वैच्छा से भाग ले सकेंगे। भाग लेने वालों के लिये किसी विशिष्ट रंग के परिधान अनिवार्य नहीं है। यथासंभव विद्यार्थीगण में बालक ढीले एवं आरामदायक वस्त्रों में योगाभ्यास की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।
6. प्रत्येक विभाग उक्त आयोजन के प्रचार प्रसार हेतु अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों को "वेबीनार" या स्वयं के विभागीय डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से योग दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में अपने अधिनस्थों से समय-समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए।
7. कोविड-19 वायरस संक्रमण के कारण योग का कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं किया जायेगा।


8. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड स्रोत समन्वयक/संकुल प्राचार्य/प्राचार्य/संस्था प्रधान शास./अशा. अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत संस्थाओं के विद्यार्थियों उनके पालकों शिक्षक, शिक्षिकाओं को 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग गतिविधियों में स्वैच्छिक रूप से सहभागिता करने हेतु प्रेरित करें। इस हेतु डिजिलेप, व्हाट्सप ग्रुप आदि के माध्यम से इस संबंध में जानकारी विद्यार्थी एवं पालकों तक पहुंचाई जाये।

दिनांक 19.06.2020 को प्रमुख सचिव शिक्षा एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा वी.सी. में दिये गये निर्देशानुसार 30 सैकण्ड की विडियो क्लिपिंग तथा 5-5 फोटो ग्राफस प्रत्येक संकुल से भेजे जाये। साथ ही कार्यक्रम में सहभागिता करने वालों का कार्यक्रम में सहभागिता करने वालों का संख्यात्मक प्रतिवेदन निम्न प्रारूप में दिनांक 21.06.2020 का दोपहर 12:00 बजे तक इस कार्यालय की मेल आईडी [deokhr-mp@mp.nic.in](mailto:deokhr-mp@mp.nic.in) खरगोन पर भेजा जावे साथ ही गुगल लिंक ड्राईव <https://bit.ly/3deLuOs> पर 30 सैकण्ड का विडिया क्लिप तथा 5-5 फोटोग्राफ प्रत्येक संकुल से अपलोड करें तथा डी.ई.ओं. की उपरोक्त मेल पर भी भेजे।

संख्यात्मक जानकारी का प्रारूप:-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	संकुल का नाम	घर पर रहकर ही योग कार्यक्रम में सम्मिलित जनों की संख्या				
			जनप्रतिनिधी	गणमान्य नागरिक	अधिकारी/कर्मचारी/ शिक्षक/ शिक्षिकाए	जनसामान्य महिला/पुरुष	छात्र/छात्राए


नोट:- समस्त संकुल प्राचार्य अपने-अपने संकुल की संकलित जानकारी उपरोक्त प्रारूप में अपने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को दिनांक 21 जून 2020 को दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखण्ड की संकलित जानकारी 21 जून 2020 को दोपहर 01 बजे तक इस कार्यालय के उपरोक्त मेल आईडी पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला खरगोन  
खरगोन, दिनांक 19.06.2020

पृ.क./कीड़ा/योग दिवस/2020/1083

प्रतिलिपी:-

1. उप. सचिव महोदय, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन।
4. पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला खरगोन।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत खरगोन।
6. संयुक्त संचालक महोदय, लोक शिक्षण इन्दौर संभाग इन्दौर।
7. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला खरगोन।
8. विभाग प्रमुख ..... जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु।
9. समस्त तहसीलदार जिला खरगोन।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला खरगोन की ओर उक्त कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला खरगोन।
12. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत जिला खरगोन।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला खरगोन